आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी०एल०डी०आर० वाद संख्या – 201 / 2022

मो० तलीब हुसैन मंसुरी व अन्य

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम–संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ</th></tr>
<tr><td>29.05.2023</td><td>
प्रस्तुत अपीलवाद मो० तलीब हुसैन मंसुरी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पुपरी के अपील वाद संख्या 84–A / 2013–14 मे दिनांक 12.12.2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है तथा इस वाद की विवादित भूमि सीतामढ़ी जिले के ग्राम–शंकरपुर के खाता सं० 296 / 527 तथा खेसरा सं०–781 / 782 / 783 के कुल रकवा 10–3 / 14 डी० मे अवस्थित है।

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>विवरणी</th><th>तिथि</th><th>विलंब</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आदेश की तिथि</td><td>12.12.2013</td><td rowspan="2">3173 दिन</td></tr>
<tr><td>2</td><td>चिरकुट दाखिल करने कि तिथि</td><td>20.08.2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्टाम्प शुल्क Notify करने की तिथि</td><td>–</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्टाम्प शुल्क जमा करने की तिथि</td><td>–</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सच्ची प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि</td><td>22.08.2022</td><td rowspan="2">0 दिन</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने की तिथि</td><td>22.08.2022</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अपील वाद दायर करने की तिथि</td><td>01.09.2022</td><td>10 दिन</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">कुल (7+1)</td><td>3183</td></tr>
<tr><td colspan="2">(–) नकल निर्गत करने मे लगा समय (6–2)</td><td>02 दिन</td></tr>
<tr><td colspan="2">(–)अपील दायर करने का निर्धारित समय</td><td>30 दिन</td></tr>
<tr><td colspan="2">शुद्ध विलंब</td><td>3141 दिन</td></tr>
</table>

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने विलंब क्षांत करने हेतु आवेदन दाखिल किया है एवं बताया कि जब वादी के दखल कब्जा में व्यवधान डालने
</td><td></td></tr>
</table>

WEB COPY NOT OFFICIAL

	की बात विपक्षी सं०–02 द्वारा किया गया। तब उन्हें निम्न न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी हुई। तब वादी ने निम्न न्यायालय के वाद की सच्ची प्रतिलिपि हेतु दिनांक 20.08.2022 को आवेदन दिया एवं उन्हें दिनांक 22.08.2022 को वाद की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त हुई एवं उन्होंने दिनांक 01.09.2022 को वाद दायर किया है जो 3141 दिन विलंब से है। उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2013 को ही आदेश पारित किया जा चुका है। उसके बाद वादी को दिनांक 20.08.2022 को वाद में आदेश पारित होने की जानकारी प्राप्त होना कही से भी विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा 3141 दिन विलंब से इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो अप्रत्याशित विलंब है। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने में हुए विलंब को क्षांत करने का कोई साक्ष्य आधारित तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी विलंब से होने तथा अपीलवाद दायर करने में हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जवाब वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सका। अतः प्रस्तुत अपीलवाद को उपरोक्त कारणों से कालबाधित (Time barred) होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL